न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2016 / 89

1. छीतर पुत्र श्री रामदेव जाति कुमावत आयु 47 वर्ष निवासी लोहरवाडा, खेमा की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सूरज मल पुत्र श्री रामदेव जाति कुमावत आयु 47 वर्ष निवासी लोहरवाडा, खेमा की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. छोगा लाल पुत्र चौथमल जाति कुमावत, निवासी लोहरवाडा, खेमा की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र कैलाश जाति कुमावत, निवासी लोहरवाडा, खेमा की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. ताराचन्द पुत्र कैलाश जाति कुमावत, निवासी लोहरवाडा, खेमा की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. लाल चन्द पुत्र कैलाश जाति कुमावत, निवासी लोहरवाडा, खेमा की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. गोपीराम पुत्र गोर्वधन जाति कुमावत, निवासी लोहरवाडा, खेमा की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक: 07.04.2021**

प्रार्थीगण की ओर [illegible] साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नं[illegible] 5880 [illegible] 0.21 [illegible]हेक्टेयर ग्राम बगरूकलां, पटवार हल्का बगरू कलॉ [illegible] कलॉ तहसील सां[illegible] जिला जयपुर में स्थित है जिसके प्रार्थीगण [illegible]दार काश्तकार है। प्रा[illegible] अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खातेदारी की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 5851 स्थित है जिस पर अप्रार्थीगण ने अवैध तरीके से बिना भू–उपयोग परिवर्तन करवाये कृषि भूमि पर सोसायटी बाबा रामदवे गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को समर्पित कर आवासीय योजना बना रहे है एवं भूखण्ड अवैध तरीके से सृजित कर रहे है। अप्रार्थीगण के द्वारा स्थानीय निकास से तथाकथित आवासीय योजना गोपीनगर की योजना अनुमोदित नही करवायी तथा उक्त योजना में किस रास्ते से होकर आना जाना होगा यह भी स्वीकृत नही करवाया, अप्रार्थीगण द्वारा अवैध तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से होकर अपनी तथाकथित आवासीय योजना गोपी नगर में जाने के लिए जबरन रोड निकालने पर आमादा हो रहे है तथा प्रार्थीगण की भूमि में जबरदस्ती खड्डे खोदकर अवैध रूप से रोड निकालने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के चारो और बाउण्ड्री बना रखी थी जिसके कुछ भाग को तोडने का प्रयास दिनांक 19.10.2016 को किया जब प्रार्थीगण ने विरोध किया तो प्रार्थीगण को धक्का मारकर एक तरफ कर दिया, इस घटना की प्रार्थीगण ने पुलिस थाना बगरू में रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु सूचना की, तो पुलिस थाना बगरू द्वारा अप्रार्थीगण को तोडफोड से रूकवा दिया लेकिन अप्रार्थीगण धमकी दे रहे है कि मौका पाकर प्रार्थीगण की पूरी बाउण्ड्रीवाल को तोड देगे। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिन्हे अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में जबरन खड्डे खोदे तथा बिना प्रार्थीगण की सहमति के प्रार्थीगण की भूमि में रोड बनाये अर्थात अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है कि प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करे।

अन्त में प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 5850 रकबा 0.21 हैक्टेयर ग्राम बगरू कलॉ पटवार हल्का बगरू कलॉ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बगरू कलॉ तहसील सांगानेर जिला जयपुर में होकर जबरन भूमि में खड्डे ना खोदे ना ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे, तथा प्रार्थीगण की भूमि पर मिट्टी आदि डालकर रोड का निर्माण नही करे, अप्रार्थीगण उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने रिश्तेदार, प्रतिनिधि, मुख्त्यार आम, आदि के जरिये करावे।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजात सूची के साथ दस्तावेजात प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 पृष्ठ किता 2, कॉर्बन कॉपी बनाम बनाम एस.एच. ओ., फोटो कॉपी नक्शा, फॉटो कॉपी आवंटन पत्र बहक चन्दा देवी मय साईट प्लान, फोटो प्रति फोटोग्राफ विवादग्रस्त स्थल किता–4 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित है कि आराजी कृषि भूमि खसर नंबर 5851 प्रार्थीगण की कृषि भूमि से लगती हुई है जिसके अप्रार्थीगण खातेदार व काश्तकार है जिन्हें अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई हक व अधिकार नहीं है, चाहे अप्रार्थीगण अपनी भूमि को किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करें चाहे अपनी भूमि में अप्रार्थीगण निर्माण करें या बेचान करें तथा शेष तथ्य झूँठे व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि से किसी प्रकार का कोई जबरन खड्डे खोदकर रोड नहीं निकाल रहे है बल्कि वास्तविक तथ्य तो यह है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की सीमा की भूमि में जबरन कब्जा कर दीवार बना कर निर्माण कर रहे थे जिसे अप्रार्थीगण ने तोड दिया तथा मौके पर मशीन द्वारा नपती भी कराई थी लेकिन प्रार्थीगण जबरन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिसके संबंध में अप्रार्थीगण ने सर्वप्रथम पुलिस थाना बगरू, जयपुर में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और तत्पश्चात प्रार्थीगण ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस कारण पुलिस थाना बगरू, जयपुर द्वारा भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को सीमा पर निर्माण करने से रोका था लेकिन प्रार्थीगण अपनी भूमि का ना तो सीमाज्ञान करवाना चाहते है और ना ही पटवारी महोदय बगरू से नपती करवाना चाहते है और अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते है जिसका प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादपत्र/प्रार्थना पत्र में संपूर्ण तथ्य केवल [illegible] की भूमि के संबंध में है और प्रार्थीगण सीमाज्ञान भी नहीं करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने, अप्रार्थीगण को मात्र हैरान व परेशान करने की बदनीयत के चलते झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य ना होने से खारिज फरमाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पुत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र टीआई नियत की गई। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील अप्रार्थीगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी को बहस हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी बहस नही करने पर वास्ते आदेश नियत की गई।

बहस पर बगौर मनन किया जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात को अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी के बताते हुए प्रस्तुत वाद/अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद/अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र से यह प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा का विवाद है उक्त बिन्दू तथ्य से संबंधित है जो कि मूलवाद मे पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर विनिश्चित किये जायेंगे। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर प्रार्थीगण अपने पक्ष को प्रमाणित नही कर पाये है अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner